P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-9* December- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मनीषा शर्मा
रीडर,
शिक्षा विभाग,
विद्या भवन गो.से. शिक्षक महाविद्यालय,
उदयपुर,राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक स्वनिर्मित जागरूकता प्रमापनी से की गई जिससे विभिन्न संदर्भों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सके। सर्वेक्षण विधि के द्वारा किये गए इस शोध अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले कुल 120 शिक्षकों को सम्मिलित किया गया। जिसमें 60 राजकीय व 60 निजी विद्यालयों के शिक्षक थे। राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में जागरूकता एक समान पाई गई।

मुख्य शब्द : शिक्षक, मानवाधिकार, जागरूकता।

प्रस्तावना

मानव परिवार के समस्त सदस्यों के जन्मजात गौरव तथा समाज आविच्छदन अधिकार की स्वीकृति ही विश्वशान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं, जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किए गए।

आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना जरूरी है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जनता ने बुनियादी मानव अधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में नर–नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र से दोहराया है और निश्चित किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाए। सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादी के प्रति सार्वभौम सम्मान में वृद्धि करेंगे।

इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादियों के स्वरूप को ठीक–ठाक समझना सबसे जरूरी है। इसीलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों और बुनियादी आजादी के प्रति सार्वभौम सम्मान में वृद्धि करेंगे।

इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादियों का स्वरूप समझना सबसे जरूरी है। इसीलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और लोगों की समान सफलता है।

इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को ध्यान रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

मानवाधिकारों का उद्भव

आर.जे. विन्सेट का कहना है कि–''मानवाधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।''

मानवाधिकारों के संघर्ष का प्रथम प्रमाण 1215 ई. के मैग्नाकार्टा घोषणा पत्र के रूप में मिलता है। तदुपरान्त 1628 ई. में अधिकार याचना पत्र 1798 की फ्रांसिसी राज्य क्रान्ति प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान स्थापित ''शान्ति स्थापना लीग'' 1920 में राष्ट्र संघ का गठन इत्यादि मानवाधिकारों के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए है।

सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सम्पूर्ण विश्व में बातें तब उठी जब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विश्व दो महायुद्धों की विभिषिकाओं से त्रस्त बर्बादी के कगार पर पहुँच चुका था। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की

शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1946 में एलोनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का परिपत्र 10 दिसम्बर 1942 को जारी किया गया। महासभा ने इस संदर्भ में 1950 में 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित करने क प्रस्ताव पारित किया।

भारत में UNO के मानवाधिकारें के घोषणा पत्र पर 1948 में हस्ताक्षर कर मानवाधिकारों की वकालात की तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सितम्बर 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया।

मानवाधिकार का अर्थ

मानवाधिकारों से तात्पर्य मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव अधिकारी है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओ के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें राजनैतिक और नागरिक अधिकार सम्मिलित है जैसे– जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार।

मानवाधिकार शब्द मानव एवं अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें से अधिकार शब्द को स्पष्ट करते हुए लास्की ने कहा हैः– ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।''

मानवाधिकारों का वर्गीकरण

मानवाधिकार को लुइस, बी. सोहन ने अपनी पुस्तक– "The New International Law: Partections of the right of individuals rather than of states में तीन भागों में वर्गीकृत किया हैः–

प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार

प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार में वे मानवाधिकार है जो चिरकाल से परम्परागत रूप में विद्यमान रहे हैं। ये अधिकार प्राचीनकाल से ही स्थापित मूल्यों के प्रतिबिम्ब हैं जिन्हें भारत और विश्व के सभी देशों के संविधान, दस्तावेजों एव समझौते में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारो के रूप में समाहित किया गया था।

द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार

द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार के अर्न्तगत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग–4 में वर्णित है।

तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार

तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार के अन्तर्गत सामूहिक अधिकार आते हैं। व्यक्तियों के संयुक्त रूप से कुछ अधिकार होते हैं जो जनता एवं राष्ट्र के बड़े समुदाय का निर्माण करते हैं। ये अधिकार सामूहिक अधिकार है।

लूईस, बी. सोहन के अनुसार– ''व्यक्ति इकाइयों, समूह या समुदाय जैसे– परिवार, धार्मिक समुदाय, सामाजिक क्लब, जातीय समूह, व्यापार, संघ, वृत्तिक संगठन,जनता, राष्ट्र और राज्य का समूह होता है। अतः एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयुक्त कतिपय सामूहिक अधिकारों को भी मान्यता देती है। विकास का अधिकार, शांति का अधिकार एवं आत्मनिर्णय का अधिकार मूल रूप से तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार के अन्तर्गत आते हैं।''

मानवाधिकारों को उनकी प्रकृति के अनुसार निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

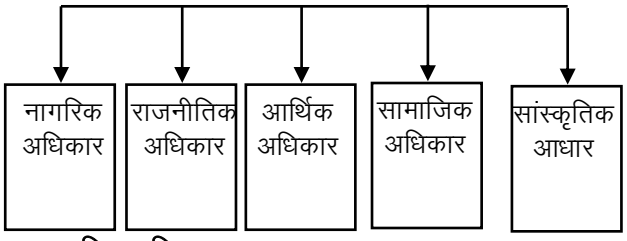

नागरिक अधिकार

व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध और आचरण को नियंत्रित करने वाले अधिकार नागरिक अधिकार कहे जाते हैं। ये अधिकार समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करने से है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार ये अधिकार बदलते रहते हैं।

राजनीतिक अधिकार

इसमें राज्य की ओर से अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। जिनके माध्यम से देश के नागरिक शासन सम्बन्धी कार्यों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये अधिकार पागल, विदेशी, दिवालियों और घोर अपराधी को नहीं दिए जाते हैं। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार इसके अन्तर्गत आते हैं।

आर्थिक अधिकार

यह वे अधिकार है जो राज्य द्वारा अपने नागरिकों को आर्थिक विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, श्रमजीवी संघ बनाने व उसमें भाग लेने का अधिकार इसके अन्तर्गत आते हैं।

सामाजिक अधिकार

समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति को समाज की ओर से प्राप्त सुविधाएँ सामाजिक अधिकार कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, परिवार शिशु और माता–पिता सम्बन्धी अधिकार, भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उपयोग का अधिकार शामिल किए जाते हैं।

सांस्कृतिक अधिकार

सांस्कृतिक अधिकार व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित है। इस अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक सृजनात्मक गतिविधियों उपलब्धियों का अधिकार आते हैं।

मानवाधिकार के संदर्भ में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका

मानव जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो मनुष्य को अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कराती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में निरन्तर आगे बढ़ना चाहता है, स्वयं को योग्य व श्रेष्ठ बनाने हेतु अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करना चाहता है जिसका पर्याय है– शिक्षा।

शिक्षा समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, सहयोग तथा सामाजिक न्याय लाने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा मानवाधिकारों की प्राप्ति का भी साधन है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों का बोध होता है। शिक्षा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का सशक्त साधन बन सकती है। शिक्षा ही वह साधन है जो मानव के अधिकारों के पालन के लिए अन्तःप्रेरित करती है। शिक्षा के द्वारा जिन कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है उनका वास्तविक कार्यकर्ता शिक्षक है शिक्षक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का सूत्रधार है। राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक एक ज्योतिपुंज है जो स्वयं राष्ट्र को आलोकित करता है। वह विद्यार्थियों को नवजीवन प्रदान करता है। इस संदर्भ में विद्यालय वह स्थान है जहाँ भावी नागरिकों की आधारशिला रखी जाती है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है।

विद्यालयों में मानवाधिकारों की विषयवस्तु एवं पाठ्यसहगामी क्रियाओं द्वारा समानता के बीज पल्लवित कर ऐसी प्रवृत्तियों का विकास किया जाता है जहाँ वह एक दूसरे को शोषक एवं शोषित न समझते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए परस्पर सहयोग एवं समझ, समाज के सभी वर्गों का विकास करते हुए कुशल शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा जाता है।

शोध समस्या का औचित्य

किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए उसका जानना आवश्यक होता है। विश्व ने दों विश्वयुद्धों की मार झेली है। इन युद्धों से लाखों लोग प्रभावित हुए। इन युद्धों ने विश्व के सामने भयानक स्थिति पैदा कर दी। मानवता को अन्दर तक झकझोर दिया। ''द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लाखों लोग की जाने गई। कुछ कौमों पर भयानक अत्याचार हुआ। जैसे– जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में अमेरिका में एटम बम फेंका। वहाँ की दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'लीग ऑफ नेशन्स ने जन्म लिया' और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई मानव अधिकार की घोषणा की प्रथम पंक्ति है– ''मानव अधिकारो की मान्यता एवं सम्मान संसार में स्वतंत्रता, शांति एवं न्याय की स्थापना की है।''

वास्तव में आरंभ से लेकर आज तक मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है और मात्र खोखली औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है। शोषण, अत्याचार आदि की हृदय विदारक घटनाएँ मानवाधिकारों के प्रति सोचने को विवश करती है। विश्व में होने वाली घटनाओं ने ही यू.एन.ओ. को अस्तित्व में लाने को मार्ग प्रशस्त किया। यू.एन.ओ. ने सभी राष्ट्रों के नागरिकों के अभ्युदय के लिए संयुक्त प्रयास प्रारंभ किए।

समाज में परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही संभव है, क्योंकि शिक्षा समाज के अनुरूप परिवर्तित होती है और बदलते हुए सामाजिक परिवर्तनों की मांगों को पूरा करती है। शिक्षा के द्वारा समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसीलिए मानवाधिकार की शिक्षा के विभिन्न माध्यमों के द्वारा समाज तक पहुँचाया जाना चाहिए।

वैसे तो मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता हर स्तर पर महसूस होती है, परन्तु विद्यालय स्तर पर इसका महत्व ज्यादा है। आज का बालक ही देश का भविष्य है। इस कारण शिक्षा मानवाधिकारो की अवधारणा सिद्धान्तों, संस्कृति, बुद्धिमता एवं परम्पराओं को आने वाली संततियों में इस प्रकार भर सकती है कि आमजन को अधिकारों एवं दायित्वों का गहराई के साथ भान हो जाए। जिससे वह अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। साथ ही समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देकर श्रेष्ठ मानव समाज की स्थापना कर सके।

शोध समस्या

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु इसी सन्दर्भ में जिस विषय का चयन किया गया है, वह निम्नलिखित है :– ''शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

शोध का उद्देश्य

शोध कार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है :–

1. शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगना।
2. राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक पता लगाना।

शोध परिकल्पना

शोध कार्य निम्नलिखित परिकल्पनाओं के आधार पर क्रियान्वित किया गयाः–

राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

पारिभाषिक शब्दावली

मानवाधिकार

मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने का व्यक्तित्व के संतुलित विकास एवं निर्माण हेतु अनिवार्य है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1994) की धारा के अनुसार– ''मानवाधिकार से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभुत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित व्यक्तियों के प्राण, स्वतंत्रता जैसे अधिकारो से है जो भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।''

जागरूकता

''जागरूकता वह अवस्था है जिससे व्यक्ति सचेत अथवा चेतन रहकर निरन्तर अपने आस–पास के वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है।''

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षकों में मानवाधिकार सम्बन्धी जागरूकता से तात्पर्य है कि वे ''मानव अधिकारों के बारे में कितना जानते हैं? मानव अधिकार कौन–कौन से हैं? उनका कितना अस्तित्व है और वर्तमान समय में विभिन्न पक्षों में इनका कितना सार्थक प्रभाव है? आदि की

जानकारी ही शिक्षकों में मानवाधिकार जागरूकता को बताती है।

शोध परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य का परिसीमन उदयपुर जिले के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का शिक्षण करने वाले शिक्षकों तक किया गया है।

न्यादर्श

शोध हेतु न्यादर्श का चयन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :–

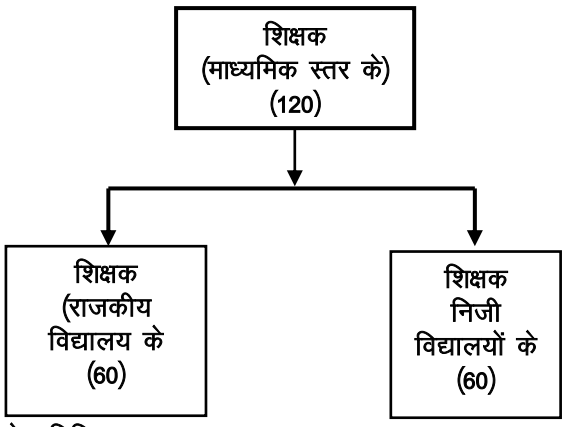

शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति, उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए शोध हेतु 'सर्वेक्षण विधि' का उपयोग किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोधकार्य से सम्बन्धित सूचनाओं तथा दत्तों को एकत्रित करने हेतु ''स्वनिर्मित मानवाधिकार जागरूकता प्रमापनी'' का उपयोग किया गया।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु दत्तों के विश्लेषण के लिये (i) प्रतिशत एवं (ii) काईवर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया।

साहित्यावलोकन

मानवाधिकार से सम्बन्धित शोध कार्यों में विषय पर हैग की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकार्य किया। जिसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान के सामान्य क्षेत्र में मानवाधिकार के मूल्याकन की चुनौतियों का मूल्यांकन कर सुझाव प्रस्तुत करना था। शोध निष्कर्षों में यह पाया गया कि शोध के निष्कर्ष स्वरूप यह पाया गया कि मूल्यांकन के व्यावहारिक उपयोग हेतु संभावित अभिविन्यास एवं वर्गीकरण की आवश्यकता है। यह मूल्यांकन के अवसरों एवं सम्भावनाओं के प्रति नया दृष्टिकोण देता है। इससे मूल्यांकन से सम्बन्धित तनाव को उत्पादात्मक अधिगम में बदल देता है।

Mihri, Anja (2004) ने Canda के मैगडेबेरी विश्वविद्यालय में Human Rights Education and a Culture of Human Rights पर काम किया। इनके शोध का उद्देश्य नागरिकों को मानवाधिकार की संस्कृति के प्रति जागरूकता करना एवं विद्यालयों और प्रौढ़ शिक्षा में मानवाधिकारों को जोड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों एवं विभिन्न NGO's की भूमिका प्रदर्शित करना था। निष्कर्षों में पाया कि मानवाधिकार आज की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विभिन्न निचले स्तर पर कार्य करने वाले स्वयं सेवी संगठनों के साथ जुड़कर काम करना आवश्यक है।

दयाल जे.के. और कौर, एस. (2015) ने पी.एस. ई.बी. और सी.बी.एस.ई. मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्षों में पाया कि सीबीएसई के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक थी। साथ ही सी.बी.एस.ई. में कार्यरत पुरुष शिक्षकों में महिला शिक्षिकाओ की तुलना मे जागरूकता अधिक पाई गई।

Boyle, Katie & Hughes, Edel (2017) ने Identifying routes to remedy for violations of economics, social and cultural rights प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य स्कॉटलैण्ड में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक (ESC) अधिकारों की वस्तुस्थिति जानना था। ये अधिकार घर, शिक्षा, रोजगार रहन–सहन का स्तर और स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। इन अधिकारों की अवहेलना समाज पर घातक प्रभाव डालती है। इस अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि इन अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक प्रावधानों की कमी है।

दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन से सम्बन्धित प्राप्त दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या इस प्रकार हैः–

सारणी संख्या–1
शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिशत			काई वर्ग	सार्थकता
		हाँ	अनिश्चित	नहीं		
1	समानता से सम्बन्धित	93.27	2.27	2.5	1448.58	सार्थक
2	न्याय से सम्बन्धित	89.54	5.93	4.53	1535.52	सार्थक
3	राष्ट्रीयता से सम्बन्धित	80.83	8.80	10.37	1096.94	सार्थक
4	विवाह से सम्बन्धित	72.67	10.67	16.66	420.96	सार्थक
5	बालकों से सम्बन्धित	97.5	2.0	0.5	1111.9	सार्थक
6	महिलाओं से सम्बन्धित	95.17	3.0	1.83	1022.44	सार्थक
	कुल	**88.79**	**5.45**	**6.07**	**1106.16**	**सार्थक**

शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता

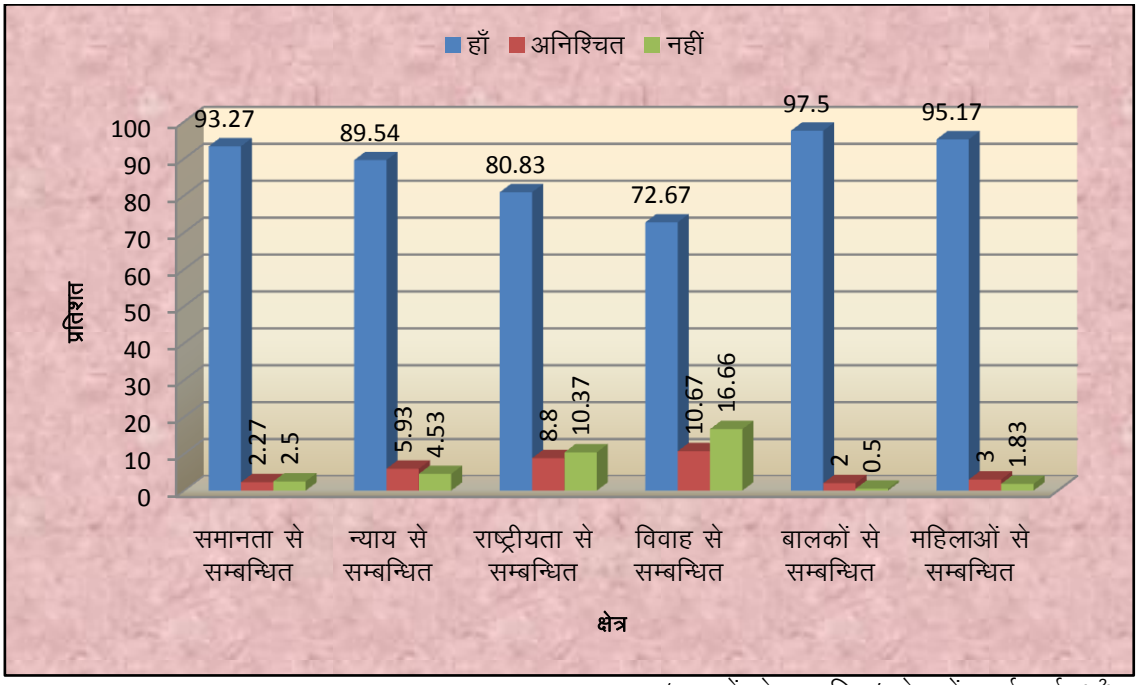

व्याख्या

सारणी एवं आरेख संख्या 1 से स्पष्ट होता है कि–

1. 'समानता से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1448.58 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
2. 'न्याय से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1535.52 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
3. 'राष्ट्रीयता से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1096.94 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से अत्यधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
4. 'विवाह से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 420.96 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
5. 'बालकों से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1111.9 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
6. 'महिलाओं से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1022.44 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त क्षेत्रों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुल 6 क्षेत्रों के औसत काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 1106.16 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से अत्यधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता सम्बन्धित प्राप्त दत्तों का विश्लेषण व व्याख्या इस प्रकार है

सारणी संख्या–2

राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

क्र. सं.	क्षेत्र	राजकीय विद्यालय शिक्षकों का प्रतिशत			निजी विद्यालयों शिक्षकों का प्रतिशत			काई वर्ग(X^2)	सार्थकता
		हाँ	अनिश्चित	नहीं	हाँ	अनिश्चित	नहीं		
1-	समानता से सम्बन्धित	93.57	2.86	3.57	96.9	1.67	1.43	5.42	असार्थक
2-	न्याय से सम्बन्धित	88.33	7.22	4.44	90.74	4.63	4.63	3.26	असार्थक
3-	राष्ट्रीयता से सम्बन्धित	86.92	10.18	8.89	80.74	7.41	11.85	4.64	असार्थक
4-	विवाह से सम्बन्धित	73.33	10.33	16.33	72.0	11.00	17.00	0.138	असार्थक
5-	बालकों से सम्बन्धित	98.0	2.0	0.0	97.0	2.0	01.0	3.015	असार्थक
6-	महिलाओं से सम्बन्धित	92.33	5.33	2.33	98.0	0.7	1.3	12.5	असार्थक
	कुल	**87.75**	**6.32**	**5.93**	**89.23**	**4.57**	**6.202**	**4.78**	**सार्थक**

2df पर सारणीकृत मान
.05 स्तर पर = 5.99
.01 स्तर पर = 9.21

राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों का मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

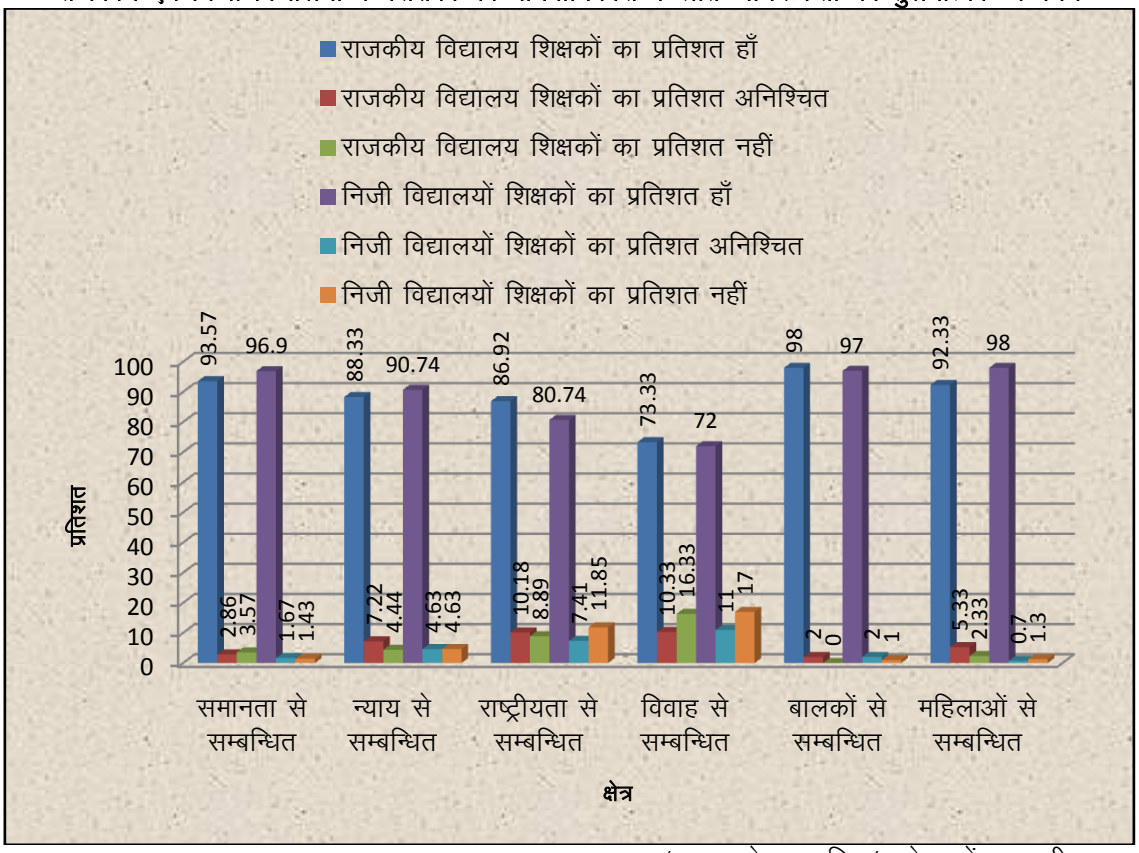

व्याख्या

आरेख एवं आरेख संख्या 4.2 से स्पष्ट होता है कि–

1. 'समानता से सम्बन्धित' क्षेत्र में राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में काई वर्ग (X^2) परीक्षण का मान 5.42 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत कम है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर स्वीकृत की जाती है।
2. 'न्याय से सम्बन्धित' क्षेत्र में राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में काई वर्ग (X^2) परीक्षण का मान 3.26 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से कम है। अतः शिक्षकों स्नातकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर स्वीकृत की जाती है।
3. 'राष्ट्रीयता से सम्बन्धित' क्षेत्र में राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में काई वर्ग (X^2) परीक्षण का मान 4.64 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता

स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से कम है। अतः शिक्षकों मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

4. 'विवाह से सम्बन्धित' क्षेत्र में राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 0.138 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से बहुत कम है। अतः शिक्षको में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर स्वीकृत की जाती है।
5. 'बालकों से सम्बन्धित' क्षेत्र में राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 3.015 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से कम है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।
6. 'महिलाओं से सम्बन्धित' क्षेत्र में काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 12.2 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से अधिक है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.01 प्रतिशत विश्वास स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त क्षेत्रों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुल 6 क्षेत्रों के औसत काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान 4.78 है जबकि 2df सारणी से 0.05 सार्थकता स्तर पर 5.99 तथा 0.01 सार्थकता स्तर से कम है। अतः शिक्षकों में मानवाधिकारों में जागरूकता के प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर निराकरणीय परिकल्पना को 0.05 प्रतिशत विश्वास स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

दत्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष

1. शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ मे प्राप्त दत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।
2. राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन शिक्षकों में मानवाधिकारो के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

1. शिक्षक मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर विद्यार्थियों मे मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक उत्कण्ठा जागृत कर सकेंगें।
2. इससे सामान्यजन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है। जिससे मानवाधिकारों का हनन ना हो।
3. शिक्षकों को मानवाधिकारो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दो का हल ढूंढने में सहायता मिल सकेगी।
4. विद्यार्थियों में सभी देशों के लोगों, उनकी संस्कृति, मूल्यों तथा जीवन के दंगों के लिए समझदारी विकसित किया जा सकेगी।
5. मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करके विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा।
6. शिक्षक विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव जागृत कर सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे।
7. शिक्षक व विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन के विविध आयामों व उनके शैक्षिक उपयोग को समझने में सक्षम हो सकेंगें।

समाहार

वैदिककालीन शिक्षा पद्धति से लेकर वर्तमान शिक्षा पद्धति तक शिक्षा में काफी परिवर्तन हुआ है। आज के समय में विद्यार्थी विभिन्न डिग्रीयाँ तो ले रहे हैं परन्तु वास्तव में आज भी विद्यार्थी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है किन्तु वह अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं करना जानता एक व्यक्ति के अधिकार दूसरें व्यक्ति के द्वारा छिने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है। व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तभी मानवाधिकारों की सुरक्षा सम्भव है। आज शिक्षकों द्वारा स्वयं मानवाधिकारों हेतु जागरूक हो विद्यार्थियों तक यह जागरूकता प्रसारित करने की आवश्यकता है। जिससे वे राष्ट्र, समाज तथा अपनी उन्नति करके संतुलित एवं अच्छे समाज की रचना में भागीदार हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Bar, Setes; Good (1941). Methodology of Edu. Research, New Yor, Application Contrary Gobts.*
2. *Best, J.W. (1963). Research in Education, New Delhi : Prentice Hall of India.*
3. *Boyle, Katie& Hughes, Edel (2017) Identifying routes to remedy for violations of economics, social and cultural rights.*
4. *Pillai, K. Shivdasan (2004). "Human Right Education in Keodas" President of Kerila state centre of CET and chief Editor, International Educator, Harrishree Nandavanem Trivandrum CTE Journal, 2009 December 2004.*
5. *पालीवाल, नरेश (2010), ''माध्यमिक विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन'', नई शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, अंक–5, दिसम्बर 2010.*
6. *दयाल जे.के. एवं कौर, एस. (2015) पी.एस.ई.बी. एवं सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अध्यापका में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'', इण्डियन जरनल ऑफ रिसर्च अप्रैल 2015.*

7. *Ullrich Surname and wengel, Elorion (2003) Participatory Evaluation A respective for Human Right Education."*
8. *Mihri, Anja (2004) Human Rights Education and a Culture of Human Rights Cand Megdebery University.*
9. *राजकिशोर (1995), ''मानवाधिकारों का संघर्ष, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन.*
10. *तनेजा, डॉ. पुष्पलता (2001), ''मानव अधिकार और बाल शोषण, दिल्ली, साहित्य प्रकाशन.*
11. *शाह महेन्द्र के. (1991), ''मानव अधिकार शान्ति और विकास, विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में, अहमदाबाद नवजीवन मुद्रणालय.*
12. *ढोढ़ियाल, सच्चिदानन्द एवं फाटक, अरविन्द (1972), ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, जयपुर, हिन्दी ग्रंथ अकादमी।*